न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/214/2018

उनवान

1. श्रीमती देऊ पुत्री हजारी कुमावत पत्नि कैलाश कुमावत निवासी बल्दरखा हाल मुकाम तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. खेमा पिता गोकल कुमावत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. घीसी पत्नि गोकल कुमावत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. रामचन्द्र पिता अमरा कुमावत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण
संख्या 16/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2018

——

अधिवक्तागण :–

1. श्री हरदयाल वर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मनीष कांटिया,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 30.12.2019

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बल्दरखा तहसील बनेडा में वादिया की माता स्व0 सोहनी के खातेदारी अधिकार व कब्जेयाबी की आराजी संख्या 1397 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 1398 रकबा 2 बीघा 4बिस्वा, आराजी नम्बर 1399 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 1400 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1401 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 1402 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1406 रकब 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1407 रबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1409 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 1584 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1585 रकबा 8 बिस्व, आराजी नम्बर 1588 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1589 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 1590 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 1591 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1592 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1593 रकबा 1 बीघा 1 बिस्व, तथा शेष आराजियात आराजी संख्या 1656 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 जो कि काल्पनिक नाम है के नाम रही उक्त अन्तरण व नामान्तरकरण संख्या 69 शुरू से ही शून्यप्रभावी है व अवैध इन्द्राज है।

2. स्व0सोहनी की एकमात्र जीवित प्रथम श्रेणी की वारिस वादिया है तथा माता सोहनी की मृत्यु के समय वादिया कीउम्र 4 वर्ष की थी तथा वादिया के माता के पहले वादिया के पिता हजारी जी की मृत्यु हो चुकी थी इस कारण वादिया के काका, काकी गांव निम्बाहेडा(शाहपुरा) ले गये तथा वादिया इतनी छोटी थी कि उसको कोई समझ नहीं थी, गांव में ही वादिया के काका–काकी ने वादिया की परवरिश की तथा बडी होने पर वादीया का विवाह करवा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधि. अजमेर एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिया । प्रतिवादिया घीसी पत्नि गोकल कुमावत ने वादिया की परिस्थितियों का फायदा उठाकर षड्यंत्र रचकर वादिया के स्वामित्व की आराजियात को हडपने की नियत से एक काल्पनिक कहानी गढकर राजकीय कर्मचारियों से मिलाभगती कर मृतक सोहनी की जायदाद का नामान्तरकरण एक काल्पनिक नाम खेमा के नाम से खुलवादिया जो एक अवैध इन्द्राज है। तथा काल्पनिक नाम खेमा के नाम इन्द्राज करवाकर दिखावटी अन्तरण रामचन्द्र पिता अमरा कुमावत निवासी बल्दरखा के नाम करवा दिया जिससे वादिया पाबन्द नही है। यह अन्तरण वादिया के मुकाबले प्रारंभ से ही शून्यप्रभावी है। वादिया के काका–काकी ने मु0 घीसी को जो कि वादिया की मौसी है को जमीन सिजारे पर देने के लिए अधिकृत किया था। जिसने बताया कि उसने अमरा कुमावत को सिजारा दे दिया है। अमरा वादीया के काका–काकी को सिजारे का हिस्सा देता रहा जिससेवादिया को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हुई। जब वादिया ने राजस्व दस्तावेज देखे तो जानकारी हुई। जब वादिया ने घीसी को ओलम्बा दिया तो वादिया को कहा कि मुझे तो जमीन हडपनी थी जो हडप ली । अतः वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादीगण का नाम विलुप्त किया जाकर वादिया के नाम वादग्रस्त आराजियात दर्ज की जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से बाधा उत्पन्न करावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, शीलवाड़ा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अपीलार्थी/वादिया द्वारा सन् 2016 में प्रस्तुत किया । तब वादिया की उम्र 39 वर्ष लगभग है, अपीलार्थी ने सही तथ्य अंकित किये । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रत्यर्थीगण का जवाब दावा लिये प्रारंभिक स्टेज पर ही आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत बिना दस्तावेज को देखे दावा खारिज करने में भारी भूल की है।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में मूलतः यह मानकर 1978 में जब मृतक सोहनी की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा नामान्तरकरण को देखने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपना मानस बनाया तथा उक्त नामान्तरकरण को 1978 के 10 वर्ष पहले सोहनी की मृत्यु मानकर निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सोहनी की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण को पढने की आवश्यकता नहीं समझी। सोहनी की मृत्यु पर जो विरासत का अवैध नामान्तरकरण खोला गया उसमें नामान्तरकरण खोलने की तारीख से डेढ माह पहले सोहनी की मृत्यु होना साफ अंकित है । इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देकर प्रत्यर्थी से मिलाभगती कर प्रशासन गांवों के संग जल्दबाजी में उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थीया मृतक सोहनी की एकमात्र जीवित पुत्री है ,प्रत्यर्थी घीसी सोहनी की बहित है । जिसने अपीलार्थी की छोटी उम्र का फायदा उठाकर खेमा नामक

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

व्यक्ति को मृतक सोहनी का गोद पुत्र बताकर अवैध इन्तकाल खुलवा लिया । इस ओर ध्यान नहीं देकर काल्पनिक तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे। अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2016–17 (Supp.) पेज 575 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

7. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रत्यर्थीगण द्वारा इस तथ्य को साबित नहीं किया गया है कि अपीलार्थीया मृतक सोहनी की पुत्री नहीं है। न ही मृतक सोहनी के गोद पुत्र के रूप में खेमा नामक व्यक्ति को रखा गया हो। यह जांच का विषय है। वादिया ने प्रत्यर्थीया संख्या 2 को अपनी मौसी होना अंकित किया है। इस तथ्य को भी प्रत्यर्थीया ने अस्वीकार नहीं किया है। मूल वाद के तथ्यों को साबित कराने का अवसर न तो अपीलार्थीया को मिल पाया है एवं न ही प्रत्यर्थीगण को वाद पत्र का खण्डन करने का अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र जांच का मोहताज रह गया है। जबकि मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य,दस्तावेज के आधार पर पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं हो पाई है। प्रकरण का निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर किया गया है। न्यायिक उद्धरण

(कैलाश चन्द्र साखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
...स्थ अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आर आर टी 2016–17 (Supp.) पेज 575 में भी यह ीमत प्रतिपादित किया गया है कि " वादिया ख्याातेदारी की पुत्री है –उठाया गया प्रश्न तथ्यों व विधि का मिश्रित प्रश्न है और साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद निर्णित किया जा सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

9. अतः अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2018 को निरस्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक२७.।.३० को उपस्थित रहे।

10. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा